




फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

स्थानीय लाल विपक्षी तहसील दार
 मुकदमा 88 R.T. Act पत्रावली संख्या 63 सन् 17

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>17/1/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-साक्ष्यवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>28/2/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>28/2/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>पत्रावली आज पेश हुई। उन्नयपक्ष अधिवक्ता उप-वादी अधिवक्ता साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाह रहे हैं। अवसर दिया जाकर ही पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 28/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>28/3/25 आज दिनांक की दार एरोरिडेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... 2/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>2/5/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-साक्ष्यवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>9/6/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>9/6/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
<p>9/6/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप-साक्ष्यवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>14/7/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>14/7/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	

9/1/25
कुलाय वादी/प्रतिवादी उप-2182473
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 21/8/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 14/7/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

14/7/25
कुलाय वादी/प्रतिवादी उप-2182473
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 21/8/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 19/8/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

19/08/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM
ही चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं
वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली
के अवलोकन से प्रकरण साक्ष्य वादी में
लम्बित हैं। वादीगण को साक्ष्य पेश करने
हेतु लगभग 6 वर्ष का समय दिया जा
रहा है परन्तु वादीगण द्वारा अब तक साक्ष्य
पेश नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता
है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग
नहीं हैं एवं माप्त प्रकरण को जानबुझकर
लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम
राजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



साक्ष्यक कलक्टर
(SDO) मावली